न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 16 / 2022 (उदयपुर आर्डर)

1. श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी स्व. लच्छीराम मेघवाल, नि. 101, उबेश्वर मार्ग, रामपुरा चौराहा, मेन रोड़, पोस्ट सिसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. मदन पिता स्वर्गीय लच्छीराम मेघवाल, निवासी 101, उबेश्वर मार्ग, रामपुरा चौराहा, मेन रोड़, पोस्ट सिसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
3. सुरेश पिता स्वर्गीय लच्छीराम मेघवाल, निवासी 101, उबेश्वर मार्ग, रामपुरा चौराहा, मेन रोड़, पोस्ट सिसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
4. श्रीमती तारा पुत्री स्वर्गीय लच्छीराम मेघवाल, निवासी 101, उबेश्वर मार्ग, रामपुरा चौराहा, मेन रोड़, पोस्ट सिसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
5. श्रीमती रेखा पुत्री स्वर्गीय लच्छीराम मेघवाल, निवासी 101, उबेश्वर मार्ग, रामपुरा चौराहा, मेन रोड़, पोस्ट सिसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. मांगीलाल पिता स्वर्गीय शंकरलाल जी मेघवाल, निवासी बेडवास, मेघवालों का मोहल्ला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती डालीबाई पुत्री स्वं. शंकरलाल पत्नी सुखलाल मेघवाल, निवासी ओड बस्ती, अम्बामाता, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती लालीबाई पुत्री स्वं. शंकरलाल पत्नी मोहनलाल मेघवाल, निवासी इन्द्रा कॉलोनी के पास, गोरेला रोड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती कन्नीबाई पुत्री स्वं. शंकरलाल पत्नी सुखलाल मेघवाल, निवासी कुराबड़, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
आदेश उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा
दिनांक 13.07.2022 प्र. सं. 46/2022

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री धमेन्द्र गहलोत अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री लोकेश गहलोत अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 10–10–2023**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:57:11 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 से 5 के पति/पिता लच्छीराम ने प्रार्थी व विपक्षी संख्या 6 से 8 के विरूद्ध असत्य कथनों पर वाद संख्यष 36/2017 लच्छीराम बनाम गंगाबाई प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें प्रार्थी व विपक्षी संख्या 6 से 8 ने प्रतिदावा प्रस्तुत कर रखा है जो आप न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें प्रार्थी को कामयाबी मिलने की पूरी संभावना है। मौजा बेड़वास में आराजी नंबर 2319 व 2320 किता 2 रकबा 0.3000 हैक्टर भूमि स्थित है। प्रार्थी व विपक्षी संख्या 6 से 8 का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर मूलपुरूष मोडीराम के पुत्र शंकर हुए। शंकरलाल की मृत्यु हो चुकी है, प्रार्थी मांगीलाल उनका पुत्र है व तीन पुत्रियां डालीबाई, लालीबाई व कन्नीबाई हुई। मोडीराम ने दो विवाह किये प्रथम पत्नी नवलीबाई थी, जिनके नुफ्ते से शंकर जी का जन्म हुआ अर्थात शंकर मोडीराम की जाईन्दा औलाद है। नवलीबाई का स्वर्गवास होने से मोडीराम जी ने नाथू की छोड़ी हुई पत्नी चमनीबाई से विवाह किया, जिनके पहले से एक पुत्र लच्छू उर्फ लच्छीराम था, जो चमनीबाई के साथ शंकर जी के घर आ गया, जिसकी परवरिश शंकर जी ने की। विपक्षी संख्या 1 से 5 के पति/पिता लच्छीराम जो मोडीराम के घर पुत्र की भांति रहा, किन्तु मोडीराम की सम्पत्ति में उसका कोई हक अधिकार नहीं था। विरासत का नामान्तरकरण सिर्फ शंकर जी के नाम खुलना चाहिए था, लेकिन लच्छु उर्फ लच्छीराम ने चालाकी से गुपचुप तरीके से अपने आपको मोडीराम का जाईन्दा पुत्र बताकर विरासत का नामान्तरकरण शंकर जी के साथ अपने नाम भी खुलवा लिया, जबकि वह मोडीराम जी का जाईन्दा पुत्र नहीं होकर गेलड था। लच्छूराम की मृत्यु के बाद उक्त भूमि विरासत से विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज हो गयी, जिससे वह प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी संख्या 1 से 5, 9 से 14 के को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13–07–2022 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 22–08–2022 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री लोकेश गहलोत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:57:11 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि दिनांक 13–07–2022 को अपीलान्ट के अधिवक्ता अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित थे, इसके बावजूद भी बहस नहीं सुनी गयी एवं एकतरफा आदेश पारित कर दिया। जो प्रतिदावे में पक्षकार नहीं हैं, उन्हें भी विपक्षी बनाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि प्रार्थना पत्र में उनको पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व नामान्तरकरण संख्या 409 व 476 का अध्ययन नहीं किया है, यदि अध्ययन किया जाता तो स्पष्ट हो जाता कि मोडीराम जी के दो जाईन्दा पुत्र शंकर व लच्छीराम थे, जिनका नाम बदस्तूर जमाबन्दी में चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 6 से 8 के विरूद्ध कोई दाद नहीं चाही है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्ट ने अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपील पेश की है, जो पोषणीय नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों के मध्य विवाद की बाहुलता नहीं बढ़े, इस हेतु प्रकरण में प्रार्थी व विपक्षी संख्या 6 से 8 को बेदखल नहीं करने एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया, जो विधि सम्मत है। क्योंकि पक्षकारों के मध्य मूलवाद एवं प्रतिदावा अभी विचाराधीन है। अपीलान्ट के पिता लच्छीराम का मोड़ीराम की सम्पत्ति पर हक अधिकार बनता है अथवा नहीं इसका निस्तारण तो मूलवाद में साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता है, तब तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 13–07–2022 यथावत रखा जाता है। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:57:11 IST
Reason: SelfAttested